

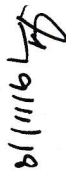
भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।		मुख्य वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला मंडला के अंतर्गत वनमंडल पश्चिम मंडला के परिक्षेत्र निवास के कक्ष क्रमांक 305, 306, 691 एवं ओ-898 का कुल रकबा 20.22 हेक्टेयर वनभूमि गौर जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--	---

तिथि :- 19 / 11 / 2018

स्थान :- भोपाल


 (SUNIL AGRAWAL)
 I.F.S.
 Addl. Principal Chief Conservator of Forest
 (Land Management)
 Madhya Pradesh, Bhopal